-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 01.07.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **आज से लागू हुए तीन नये कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रति लोगों में व्यापक जागरुकता फैलाने के लिए पुलिस कार्यालय सहित समस्त थानों में जागरुकता कैम्प की, की गई स्थापना।**
- **जागरुकता कैम्प के माध्यम से पम्प्लेट आदि वितरित कर लोगों को किया जा रहा जागरुक। सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किए जा रहे हैं जागरुकता संबंधी पोस्टर/बैनर।**

विवरण- आज दिनांक 01.07.2024 को भारत में लागू हुए 03 नये कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रति लोगों में व्यापक जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित सभी थानों में जागरुकता कैम्प की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से आम जनमानस को पम्प्लेट आदि वितरित कर नये कानूनों के प्रावधानों के प्रति लोगों का जागरुक किया जा रहा है। आज थाना कोतवाली देहात पर श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र श्री अजय कुमार सिंह द्वारा लोगों को जागरुक किया गया तथा उन्हे नये कानूनों के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में आने वाले जनमानस को पम्प्लेट/बुकलेट आदि का वितरण कर नये कानूनों के बारे में जानकारी दी गई।